

भारत सरकार  
वित्त मन्त्रालय, व्यय विभाग  
केन्द्रीय पेंशन लेख कार्यालय  
त्रिकूट-II भीकाजी कामा प्लेस  
नई दिल्ली-110066  
फोन : 26174596, 26174456, 26174438



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF EXPENDITURE  
CENTRAL PENSION ACCOUNTING OFFICE  
TRIKOOT-II, BHIKAJI CAMA PLACE,  
NEW DELHI-110066  
PHONES : 26174596, 26174456, 26174438

CPAO/Tech/Clarification/P&PW/2014-15/426-497

date 17.09.2014

### Office Memorandum

**Subject:- Regarding marking of PPO number in the bank passbook of Pensioners/Family Pensioners**

This office has been receiving various applications from Central Civil Pensioners/Family Pensioners and Registered Welfare Organizations related to pension problems like how to get duplicate PPO in case of missing of original PPO, commencement of family pension to spouse or dependent children after the death of pensioner, transfer of pension account from one bank/branch to another bank/branch. But above complaints are not attended immediately by banks because their bank pass books do not have PPO numbers. To obviate this situation it would be better if the PPO number is marked in the passbook.

Therefore, Heads of all CPPCs and Government Business Departments are advised to instruct all their bank branches dealing with pension payments to record the PPO numbers in all the passbook of the Pensioners/Family pensioners issued by them.

  
(Vijay Singh)

Sr. Accounts Officer (IT & Tech)

To,

1) All the Heads of Government Business Departments (As per list)

Copy to:-

1) All CPPCs of authorised Banks (as per list)

2) Shri Vikrant Verma, Section Officer, DP&PW, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi w.r.t. your letter no. 1/2/2013/P&PW(E) dated 17.04.2015

Sr. Accounts Officer (IT & Tech)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग,  
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय  
ट्रिकूट-II, भीकजी कामा प्लेस  
नई दिल्ली - 110 066

के.पे.ले.का./तकनीकी/स्पष्टीकरण/पेंशन विभाग/2014-15/426-497


17.09.2014

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय:-** पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के बैंक पासबुक में उनका पेंशन अदायगी आदेश संख्या अंकित करने के संबंध में।

इस कार्यालय को विभिन्न केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं पंजीकृत पेंशनभोगी कल्याण संगठनों से पेंशन संबंधी समस्याओं जैसे पुराने या नए पेंशन अदायगी आदेश गुम होने पर पेंशन अदायगी आदेश दुबारा तैयार करना, पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात पत्नी अथवा आश्रित बच्चों को पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने हेतु, पेंशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक बैंक शाखा से दूसरे बैंक शाखा में स्थानांतरण करना, आदि कार्यों के निराकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के बचत/संयुक्त खाते में पेंशन अदायगी आदेश संख्या अंकित न होने के कारण बैंक उपर्युक्त शिकायतों का समाधान शीघ्र नहीं कर पाता। पेंशन संबंधी उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु पेंशन अदायगी आदेश संख्या उसी बैंक पासबुक में अंकित कर दी जाए, जिस बचत/संयुक्त खाते से पेंशनभोगी पेंशन प्राप्त कर रहा है तो पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटान में सुविधा होगी।

अतः सभी बैंकों के प्रमुखों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को यथाशीघ्र बैंक पासबुक पर पेंशन अदायगी आदेश संख्या अंकित करने के निर्देश जारी करें।

  
(विजय सिंह)

4/9/14 वरि. लेखाधिकारी( तकनीकी)

सेवा में,  
सभी अधिकृत बैंकों के सरकारी  
लेन-देन विभाग के प्रमुख (संलग्न सूची के अनुसार)

#### प्रतिलिपि:-

सभी अधिकृत बैंकों के केंद्रीकृत पेंशन संसाधन केन्द्रों के प्रमुख (संलग्न सूची के अनुसार)

श्री विक्रान्त वर्मा, अनुभाग अधिकारी, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -  
आपके पत्र संख्या 1/2/2013/P&PW(E) दिनांक 17.04.2014 के संदर्भ में।

4/9/14 वरि. लेखाधिकारी( तकनीकी)